

**प्रष्ठक**

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर।

संखा ८

**प्रबंधक**

एस०एस०बाजवॉ मॉर्डन एकेडमी, बॉसीवाला, बढ़ापुर, ब्लाक—कोतवाली  
जनपद—बिजनौर।

पत्रांक: बेसिक / अंग्रेजी माध्यम मान्यता / ५६९६-८३०।

/ २०१२-१३

दिनांक ११/१२

विषय:— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं एस०एस०बाजवॉ मॉर्डन एकेडमी, बॉसीवाला, बढ़ापुर, ब्लाक—कोतवाली (बिजनौर) (विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीख १-७-२०११ से तारीख ३०-६-२०१४ तक तीन वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम से कक्षा—नव्सी से कक्षा-३ तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है—

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई वाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 'विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाधि १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाधि २) के उपवंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा-१ में (या बाधास्थिति नव्सी कक्षा में) उस लक्ष्य से वालकों की संख्या का २५ प्रतिशत तक आस-पड़ास के कमज़ोर बर्गों और सुटिए निहीन स्कूल वालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4 पैरा-३ में निर्दिष्ट वालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपवंधा (२) के उपवंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक दैनंदिन खाता रखेगा।
- 5 सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी वालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कूलिंग प्रक्रिया के लिए नियम नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी वालक को उसकी आयु का संबूल न होने पर कारण प्रवेश दर्द से इकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपवंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—
  - (1) प्रवेश दिए गए किसी भी वालक को विद्यालय के उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - (2) किसी भी वालक को शारीरिक दड़ या भानड़िया उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
  - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी वालक के ऊपर गोंद परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
  - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्यक्ष वालकों को नियम 25 के अधीन अधिकृति किए गए अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता यस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
  - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(१) के अधीन यथा अधिकृति न्यूनतम अवृत्ताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि वे अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अवृत्ताएं नहीं हैं तो वह वही के भीतर एसी न्यूनतम अवृत्ताएं अन्वेषित करेंगे।
  - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(१) के अर्द्धे निर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
  - (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किए जाने में नियोजित नहीं करेंगे।

- 7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।  
अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :—
- (1) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल—
  - (2) कुल निर्मित क्षेत्र—
  - (3) कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल—
  - (4) वासाओं की संख्या—20
  - (5) प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भड़ागार के लिए कक्ष—05
  - (6) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय—उपलब्ध है।
  - (7) पेयजल सुविधा—उपलब्ध है।
  - (8) निड-डे—मील पकाने के लिए रसोई-याजना लागू नहीं है।
  - (9) वाधा रहित पर्दृच—है।
  - (10) अध्यापन पठन सामग्री / कीड़ा खेलकूद उपस्कर्ण/पुस्तकालय की उपलब्धता—उपलब्ध है।
- 9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के मर्योजन के लिए किया जायेगा।
- 11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12 स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या समग्र या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14 आपके विद्यालय को आद्यतित मान्यता कोड संख्या ०२... है। कृपया इसे नोट बर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- 15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदंशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय

१५/११२  
(राजा भानप्रताप सिंह)  
जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
लिखनोर

पृ०सं०वैसिक /

/2012-13

तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1—अपर शिक्षा निदेशक(वैसिक), उ०प्र०, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।

2—सचिव, उ०प्र०, वैसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।

3—मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(वैसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

4—जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद—विजनौर।

5—संबंधित सहायक वैसिक शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद—विजनौर।

जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी  
विजनौर।